

डेयरी विकास कार्ड योजना

उद्देश्य : अच्छी गुणवत्ता वाली दुधारू गाय/ भैंस या विदेशी नस्ल की पशुओं की खरीद पशुओं को रखने के लिए शेड का निर्माण, कार्यशील पूंजी मदों की खरीद जैसे कि डेयरी फीड, पशु चिकित्सा औषधियाँ, चारा, डेयरी उपकरण या अन्य उपकरणों आदि की खरीद ।

पात्रता : भूमि रहित कृषि श्रमिक या किसान / कोई भी व्यक्ति जिसे दुधारू पशुओं को रखने का अनुभव हो । आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए जगह/शेड होना चाहिए अथवा पशुओं को रखने हेतु शेड बनाने के लिए पर्याप्त जगह हो साथ ही चारे की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था हो ।

मार्जिन : शून्य

कार्ड का प्रकार: पीएनबी डेयरी विकास कार्ड

कार्ड की वैधता : 5 साल

ऋण की सीमा: 1,00,000 / -

ऋण संवितरण: ऋण किसान की आवश्यकता के अनुसार चरणों में नकद में संवितरित किया जाएगा। सीमा का लाभ केवल कार्ड जारी करने वाली शाखा से उठाया जा सकेगा।

ऋण की अदायगी: निवेश ऋण को वार्षिक आधार पर संमिश्र नकद ऋण सीमा को कम करते हुए 5 वर्षों में चुकाया जायेगा । खाते में किश्तें मासिक/ तिमाही आधार पर चुकाई जाएंगी।